सचिका स0–7 / न्यायालय–30–01 / 2026 – 159 (नA)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शंभु शरण, भा.प्र.से

सरकार के अपर सचिव ।

सेवा मे,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),

वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना ।

द्वाराः– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनाक– 13 / 05 / 2026

विषयः– **बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सहबद्ध संस्थान (बिमहास) कोईलवर, भोजपुर में धर्मशाला भवन, चहारदीवारी के जीर्णोद्धार एवं 590 मी० नये निर्माण, खेल मैदान तथा परिसर में पार्क एवं हार्टीकल्चर के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रू० 5,19,59,300/–(रूपये पाँच करोड उन्नीस लाख उनसठ हजार तीन सौ) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सबध मे कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के Learned Member, Bihar State Legal Servipces Authority द्वारा बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एव सहबद्ध सस्थान (बिमहास) कोईलवर, भोजपुर के निरीक्षण के उपरान्त समर्पित निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर स्वत सज्ञान लेते हुए लोक जनहित याचिका में दिनाक–18 02 2026 को विस्तृत न्यायादेश पारित किया गया।

2– तदक्रम मे बिहार चिकित्सा सेवाए एव आधारभूत सरचना निगम लिमिटेड, पटना के पत्राक–44, दिनाक–02 04 2026 द्वारा बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सहबद्ध सस्थान (बिमहास) कोईलवर, भोजपुर में धर्मशाला भवन, चहारदीवारी के जीर्णोद्धार एव 590 मी० नये निर्माण, खेल मैदान तथा परिसर मे पार्क एवं हार्टीकल्चर के विकास हेतु रू० 5,33,36,700/–(रूपये पॉच करोड तेतीस लाख छत्तीस हजार सात सौ) मात्र का तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है। उक्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन में सेन्टेज एव GST की राशि सन्निहित है।

3– उक्त परिप्रेक्ष्य मे बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सहबद्ध संस्थान (बिमहास) कोईलवर, भोजपुर मे धर्मशाला भवन, चहारदीवारी के जीर्णोद्धार एव 590 मी० नये निर्माण, खेल मैदान तथा परिसर में पार्क एव हार्टीकल्चर के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 मे बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, लि०, पटना से प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर कुल रू० 5,19,59,300/–(रूपये पॉच करोड उन्नीस लाख उनसठ हजार तीन सौ) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4– उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के द्वारा कराया जायेगा। कार्य कराते समय निम्न बिन्दुओ को ध्यान मे रखा जायगाः–

(i) भवन निर्माण कार्य स्वास्थ्य विभाग को आवटित भूमि परिसर मे अवस्थित उपलब्ध आवश्यक भूमि पर ही कराया जाएगा।

(ii) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व इसकी सतुष्टि प्राप्त कर ली जायेगी कि सबधित कार्य किसी अन्य योजना से नही कराया जा रहा हो या पूर्व मे नही कराया गया हो।

(iii) राशि का व्यय कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जायेगी।

(iv) कार्य का सघन पर्यवेक्षण निगम द्वारा अधिकृत नामित पदाधिकारी/एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा। भवन निर्माण कार्य मे सामग्री की गुणवत्ता प्रभावित न हो, इसकी जिम्मेवारी भी सबधित पदाधिकारी/एजेसी की ही होगी। निदेशक, बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एव सहबद्ध सस्थान (बिमहास) कोईलवर एव प्रभारी पदाधिकारी के द्वारा भी यह सम्पुष्टि कर ली जाएगी कि प्राक्कलन के अनुरूप कार्य सम्पन्न करा लिया गया है।

(v) कार्य निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हो, यह सुनिश्चित कराया जायेगा। भवन निर्माण सबधी कार्यादेश निर्गत के उपरान्त समय सीमा का पूर्ण अनुपालन की जिम्मेवारी भी सबधित पदाधिकारी/एजेन्सी की होगी।

(vi) निगम के संबधित कार्यपालक अभियता द्वारा मासिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा, जबतक कि कार्य पूर्ण नही हो जाय। तद्क्रम मे निगम द्वारा भी भवन निर्माण संबंधी छ मासिक प्रगति से विभाग को अवगत कराया जाएगा, जबतक भवन निर्माण कार्य पूर्ण न हो जाय।

(vii) योजना के कार्यान्वियन मे विलम्ब के कारण अगर प्राक्कलित राशि की पुनरीक्षण की आवश्यकता पडी तो इसके लिए बिहार चिकित्सा सेवायें एव आधारभूत सरचना निगम, पटना के सबधित पदाधिकारी जिम्मेवार माने जायेगे।

5– इस राशि के व्यय का वहन मॉग सख्या–20, मुख्य शीर्ष–4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष–110–अस्पताल तथा औषधालय, उपशीर्ष–0117–मानसिक आरोग्यशाला कोईलवर अस्पताल भवनो का निर्माण, विपत्र कोड–20–4210011100117 के अंतर्गत विषय शीर्ष 53–01–मुख्य निर्माण कार्य ईकाई मे उपबधित राशि/अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

6– इस राशि के निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होगे तथा नियत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगे।

7– अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म–46 मे तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट स0–PBBPLA007, विपत्र कोड–00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID--------मे जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे।

8– बिहार चिकित्सा सेवाये एव आधारभूत सरचना निगम, पटना इस राशि का धन ऋण (Plus-Minus Memoranda) ज्ञापन तथा व्यय के सुसगत भाउचर्स/उपयोगिता प्रमाण–पत्र के साथ ससमय कोषागार के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेगे तथा एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेगे ।

9– यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र सख्या–2561/वि0(2), दिनाक–17 04.98, 2880/वि0(2), दिनाक–06 05.06, 2938/वि0(2), दिनाक–08.04 08, 3758/वि0, दिनाक–31 05 2017 एवं 12888/वि०, दिनाक–03 12 2024 एव 3515/वि०, दिनाक–26 03 2025 के आलोक मे निर्गत किया जा रहा है।

10– विभागीय स्थायी वित्त समिति की दिनाक–07 04 2026 की बैठक की कार्यवाही के ज्ञापांक–136(7A), दिनाक–07 04.2026 के क्रम सख्या–01 में प्रस्ताव अनुशंसित है।

11– उक्त योजना की प्रशासनिक स्वीकृति स्कीम स्क्रीनिग समिति की दिनाक–16 04 2026 को आहुत बैठक की कार्यवाही ज्ञापाक–331/यो० वि०, पटना, दिनाक–16 04 2026 द्वारा अनुशसित है।

12– प्रस्ताव एव प्रारूप मे माननीय मत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

13– प्रारूप मे आतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

14– राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले मे महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

15– यह मात्र स्वीकृत्यादेश है। आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
13.5.26.
(शंभु शरण)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांकः–7/न्यायालय–30–01/2026–159(7A)/स्वा0, पटना, दिनांक–13/05/2026

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमडलीय आयुक्त, पटना प्रमडल, पटना/जिलाधिकारी, भोजपुर/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना प्रमडल, पटना/असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भोजपुर/निदेशक, बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सहबद्ध सस्थान (बिमहास) कोईलवर, भोजपुर बिहार को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–मा0 मत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों मे), स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रबध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत सरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13.5.26.
सरकार के अपर सचिव।